न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 244 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 348)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. समनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर।	1. मनजीत सिंह पुत्र माधो सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर। 2. सर्वजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर। 3. सतबीर कौर पत्नी गुरदित सिंह पुत्री मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी हुड्डा कॉलोनी, सिरसा जिला सिरसा। 4. पवनदीप कौर पत्नी गुरपिन्द्र सिंह पुत्री मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी जक्शन हनुमानगढ। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 23.07.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

दिनांकः13.08.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 114/112 के मुरब्बा नम्बर 13, 58, 61, 80/20 की कुल 15.063 हैक्टेयर भूमि में से मनजीत सिंह पुत्र माधो सिंह के नाम से 5.812 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4 के माता-पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपनी सहमति से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 5.812 हैक्टेयर भूमि में से 0.831 हैक्टेयर भूमि बंटवारा करके सुपूर्द की हुई है। उक्त भूमि का वादी अपनी स्वेच्छा से उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य प्रतिवादीगण की सहमति से भूमि बंटवारा कर मुझ वादी को सुपूर्द अवश्य की हुई है, लेकिन भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में आज तक नहीं करवाया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 विवाहित है, जो कि अपने ससुराल में आबाद है। जिनका प्रेम स्नेह वादी से अत्यधिक है, जिनके द्वारा भी अपना हिस्सा मुझ वादी को सुपूर्द किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादी ने कई बार निवेदन किया कि हम सहमति से भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में करवा देवे ताकि सरकार के द्वारा प्राप्त सुविधाओं का लाभ वादी उठा सके, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 टाल-मटोल करता रहता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने भी कई बार निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 114/112 के मुरब्बा नम्बर 13, 58, 61, 80/20 की कुल 15.063 हैक्टेयर भूमि में से मनजीत सिंह पुत्र माधो सिंह के नाम से दर्ज 5.812 हैक्टेयर भूमि में से बंटवारानामा में प्राप्त 0.831 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर किया जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी समनदीप सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 मनजीत सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर सहमति पत्र पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान वादी अधिवक्ता के द्वारा की गई। सहमति पत्र पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा सहमति पत्र सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। सहमति पत्र तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। सहमति पत्र के अनुसार राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 114/112 के मुरब्बा नम्बर 13, 58, 61, 80/20 की कुल 15.063 हैक्टेयर भूमि में से मनजीत सिंह पुत्र माधो सिंह के नाम से दर्ज

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

5.812 हैक्टेयर भूमि में से 0.831 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज, आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 सर्वजीत कौर, प्रतिवादी संख्या 3 सतबीर कौर, प्रतिवादी संख्या 4 पवनदीप कौर की ओर से नोटेरी प्रमाणित सहमति पत्र पेश किया, जो सामिल मिसल किए गए। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति पत्र पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, सहमति पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र मुताविक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सहमति पत्र अनुसार भली-भांति सावित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 114/112 के मुरब्बा नम्बर 13, 58, 61, 80/20 की कुल 15.063 हैक्टेयर भूमि में से मनजीत सिंह पुत्र माधो सिंह के नाम से दर्ज 5.812 हैक्टेयर भूमि में से 0.831 हैक्टेयर भूमि का वादी समनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

समनदीप सिंह बनाम मनजीत सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **244/2025**
निर्णय दिनांक :-13.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सहमति पत्र अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 114/112 के मुरब्बा नम्बर 13, 58, 61, 80/20 की कुल 15.063 हैक्टेयर भूमि में से मनजीत सिंह पुत्र माधो सिंह के नाम से दर्ज 5.812 हैक्टेयर भूमि में से 0.831 हैक्टेयर भूमि का वादी समनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 13.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**01**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 13.08.2025

क्रमांक: रीडर/2025/614
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner